[2019] 4 एस.सी.आर. 1069

राघवेन्द्र शरण सिंह

वि.

राम प्रसन्न सिंह (मृत) अन्य द्वारा

(सिविल अपील क्रमांक 2960/2019)

13 मार्च, 2019

[एल. नागेश्वर राव और एम. आर. शाह, न्यायाधीशगण।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 7 नियम 11 - अपीलकर्ता के पिता (मूल वादी) और उसके भाई ने संयुक्त रूप से विचाराधीन भूमि खरीदी और अपीलकर्ता के पक्ष में दिनांक 06.03.1981 को पंजीकृत उपहार विलेख निष्पादित किया - अपीलकर्ता ने विभाजन का मुकदमा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्तियों के बंटवारे के लिए अपने भाइयों और अन्य के खिलाफ वर्ष 2001 में दायर किया - मूल वादी को 2001 के मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 10 के रूप में शामिल किया गया था - मूल वादी ने 2003 में अपीलकर्ता के खिलाफ स्वत्व घोषणा का मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की गई कि उपहार विलेख निष्पादित किया गया है अपीलकर्ता का पक्ष दिखावटी है - अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर वाद को अस्वीकार करने के लिए आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दायर किया कि मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है - खारिज - अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर किया - खारिज - अपील, अभिनिर्धारित: यह विवादित नहीं है कि उपहार विलेख, एक पंजीकृत उपहार विलेख मूल वादी द्वारा स्वयं अपने भाई के साथ निष्पादित किया गया था - 2003 तक, लगभग 22 वर्षों तक, न तो वादी और न ही उसके भाई (जिसकी मृत्यु 15.12.2002 को हुई थी)) ने अपने जीवनकाल के दौरान किसी भी समय दावा किया। यह कि उपहार विलेख दिखावटी उपहार विलेख था - यह अपीलकर्ता है जिसने वर्ष 2001 में अपने भाइयों के खिलाफ विभाजन का मुकदमा दायर किया था, जिसमें

वादी भी प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में एक पक्ष था। समन और उक्त मुकदमे में वाद की प्रति वादी को 2001 में ही तामील कर दिया गया था - इसके बावजूद, उन्होंने वर्ष 2003 में वर्तमान मुकदमा दायर किया - चतुर मसौदा तैयार करके, वादी ने मुकदमे को परिसीमा अवधि के भीतर लाने का प्रयास किया, जो अन्यथा, परिसीमा द्वारा वर्जित था, वादी ने कभी प्रार्थना नहीं की उपहार विलेख को रद्द करने के लिए - ऐसी प्रार्थना चतुराई से नहीं मांगी गई थी - यदि ऐसी प्रार्थना मांगी गई होगी, तो उस स्थिति में, आर्टिकल 59 लिमिटेशन एक्ट को ध्यान में रखते हुए मुकदमे को स्पष्ट रूप से सीमा से वर्जित कहा जा सकता है और, इसलिए, लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों से बाहर निकलने के लिए केवल एक घोषणा की मांग की गई थी, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया- अपीलकर्ता द्वारा वाद को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया- परिसीमा अधिनियम, 1963 - आर्टिकल 59।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1 वादी ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि वादी और उसके भाई ने 06.03.1981 को उपहार विलेख निष्पादित किया। यह स्वीकार किया कि उपहार विलेख एक पंजीकृत उपहार विलेख है। वादपत्र से यह भी पता चलता है कि 2003 तक, न तो वादी और न ही उसके भाई (अपने जीवनकाल के दौरान) ने 06.03.1981 के उपहार विलेख को चुनौती दी और न ही, किसी भी समय यह दावा किया कि 06.03.1981 का उपहार विलेख दिखावटी था। वास्तव में, यह प्रतिवादी-अपीलकर्ता है जिसने वर्ष 2001 में अपने भाइयों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें वादी भी प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में एक पक्ष था और यह अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी द्वारा दायर एक विभाजन मुकदमा था। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मन और वादपत्र की प्रति - टी.एस. (विभाजन) मुकदमा संख्या 203, 2001 - वादी को वर्ष 2001 में ही तामील करा दिया गया था। फिर भी, वादी ने वादपत्र में कहा कि उपहार विलेख के संबंध में वादी को 10.04.2003 को जानकारी हुई। इस प्रकार, वाद में दिए गए कथनों से यह पता चलता है कि, 2003 तक, वादी ने उपहार विलेख पर कभी विवाद नहीं किया और/ कभी यह दावा नहीं किया कि दिनांक 06.03.1981 का उपहार विलेख एक दिखावटी उपहार विलेख था।

1.2 नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज न करके भारी गलती की है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह विवादित नहीं है कि उपहार विलेख को मूल वादी ने अपने भाई के साथ स्वयं निष्पादित किया था। उपहार विलेख एक पंजीकृत उपहार विलेख था। उपहार विलेख का निष्पादन वादी द्वारा विवादित नहीं है। वादी का मामला यह है कि उपहार विलेख एक दिखावटी उपहार विलेख था और इसलिए वह उस पर बाध्यकारी नहीं है। लगभग 22 वर्षों तक, न तो वादी और न ही उसके भाई (जिनकी मृत्यु 15.12.2002 को हुई) ने किसी भी समय यह दावा किया कि उपहार विलेख दिखावटी उपहार विलेख था। उपहार विलेख के निष्पादकों में से एक - वादी के भाई ने अपने जीवनकाल के दौरान कभी यह दावा नहीं किया कि उपहार विलेख एक दिखावटी उपहार विलेख था। प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे का सम्मन टी.एस. (विभाजन) 2001 का मुकदमा संख्या 203 प्रतिवादी संख्या 10-वादी को वर्ष 2001 में ही तामील कर दिया गया था। इसके बावजूद, उन्होंने वर्ष 2003 में वर्तमान मुकदमा दायर किया। यहां तक कि वाद में दिए गए कथनों से भी ऐसा प्रतीत होता है कि इन 22 वर्षों के दौरान यानी 1981 से 2001/2003 तक की अवधि के दौरान, यहाँ वाद की संपत्ति अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी द्वारा गिरवी रखी गई थी और बंधक विलेख प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया गया था। चतुर मसौदा तैयार करके वादी ने मुकदमे को परिसीमा अवधि के भीतर लाने का प्रयास किया है, जो अन्यथा परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है।

1.3 वादी ने कभी भी उपहार विलेख को रद्द करने की घोषणा के लिए प्रार्थना नहीं की। ऐसी प्रार्थना चतुराई से नहीं मांगी जाती. यदि ऐसी प्रार्थना की गई जाती, तो उस स्थिति में, परिसीमन अधिनियम के अनुच्छेद 59 पर विचार करते हुए मुकदमे को स्पष्ट रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित कहा जा सकता है और इसलिए, परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाहर निकलने के लिए केवल एक घोषणा की मांग की जाती है। , विशेष रूप से, परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 59। उपरोक्त पहलू पर उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा भी विचार नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय और विद्वान ट्रायल कोर्ट दोनों ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं करने और सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिका को खारिज

नहीं करने में गलती की। उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए यहां अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को इसके द्वारा अनुमति दी जाती है और वादपत्र, 2003 का टाइटल सूट नंबर 19 होने के कारण, इसे खारिज कर दिया जाता है।

टी. अरिवंदंदम बनाम. टीवी सत्यपाल (1977) 4 एससीसी 467: [1978] 1 एससीआर 742; राम सिंह बनाम ग्राम पंचायत मेहल कलां (1986) 4 एससीसी 364; मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम। सैयद जलाल (2017) 13 एससीसी 174: [2017] 5 एससीआर 294; चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और एजुकेशनल चैरिटेबल सोसायटी बनाम। पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट (2012) 8 एससीसी 706: [2012] 6 एससीआर 404; ए.बी.सी. लैमिनार्ट प्रा. लिमिटेड वी ए.पी. एजेंसियां (1989) 2 एससीसी 163 [1989] 2 एससीआर 1; सोपान सुखदेव साबले बनाम. सहायक चैरिटी आयुक्त (2004) 3 एससीसी 137 [2004] 1एससीआर 1004; शाम लाल उर्फ़ कुलदीप बनाम. संजीव कुमार (2009) 12 एससीसी 454: [2009] 5 एससीआर 1049; प्रस्तावित एलआरएस एआईआर 2005 एससी 2897 [2005] 1 सप्ल द्वारा एन. वी. श्रीनिवास मूर्ति बनाम मरियम्मा (मृत)।

SCR 411; रामप्रकाश गुप्ता वि. राजीव कुमार गुप्ता (2007) 10 एससीसी 59: [2007] 10 एससीआर 520 - पर निर्भर। ब्लूम डेकोर लिमिटेड बनाम सुभाष हिम्मतलाल देसाई (1994) 6 एससीसी 322 [1994] 3 सप्ल। एससीआर 322 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[1978] 1 एससीआर 742	भरोसा किया	पैरा ४.३
(1986) 4 एससीसी 364	भरोसा किया	पैरा ४.३
[2017] 5 एससीआर 294	भरोसा किया	पैरा ४.३
[2012] 6 एससीआर 404	भरोसा किया	पैरा ४.५
[1989] 2 एससीआर 1	भरोसा किया	पैरा ४.५
[1994] 3 पूरक। एससीआर 322	रैफर किया	पैरा ४.५
[2004] 1 एससीआर 1004	भरोसा किया	पैरा ४.५
[2009] 5 एससीआर 1049	भरोसा किया	पैरा ४.५

[2005] 1 पूरक। एससीआर 411	भरोसा किया	पैरा ४.५
[2007] 10 एससीआर 520	भरोसा किया	पैरा ४.५

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2960 उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.03.2013 से 2006 के नागरिक संशोधन संख्या 1829 में पटना में न्यायपालिका का।

लक्ष्मी रमण सिंह, अधिवक्ता। अपीलकर्ताओं के लिए.

ब्रजेश वर्मा, दिनकर शर्मा, शिरीश कुमार, ंइ.सी. विद्या सागर, उपेन्द्र प्रताप सिंह, मिस खेयाली, डी.के. देवेश, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एम. आर. शाह, जे. 1. प्रतिस्थापन के लिए किया गया आवेदन की प्रार्थना स्वीकार की गंई

1.1अनुमति ।

2. उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 2006 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 1829 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 12.03.2013 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है और पारित आदेश की पुष्टि की है। विद्वान मुंसिफ, दानापुर द्वारा दिनांक 28.08.2006 को टाइटल सूट नंबर 19, 2003 में पारित किया गया, जिसके द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया। सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद 'सीपीसी' के रूप में संदर्भित) के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के लिए, मूल प्रतिवादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. वर्तमान अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

मूल वादी और उनके भाई शेओ प्रसन्न सिंह ने संयुक्त रूप से वर्ष 1965 में विचाराधीन भूमि खरीदी थी। मूल वादी, जो अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी के पिता हैं, और उनके दिवंगत भाई शेओ प्रसन्न सिंह ने एक पंजीकृत विलेख निष्पादित किया था। 06.03.1981 को अपीलकर्ता के पक्ष में उपहार के रूप में वाद की भूमि उपहार में दी गई

और उसने उस पर कब्जा कर लिया । यहां अपीलकर्ता- मूल प्रतिवादी ने एक टी.एस. (विभाजन) संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्तियों के बंटवारे के लिए उनके भाइयों और अन्य के खिलाफ 2001 का मुकदमा संख्या 203। स्थापित किया यह कि वर्तमान मुकदमे में प्रतिवादी-मूल वादी भी उसी मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में शामिल हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त विभाजन वाद की प्रति के साथ समन कथित तौर पर वादी-प्रतिवादी को 21.12.2001 को दिया गया था। श्यो प्रसन्न सिंह की मृत्यु 15.12.2002 को हो गयी। इसके बाद, प्रतिवादी-मूल वादी ने अकेले ही टी.एस. दायर किया। 2003 की संख्या 19 में अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी के खिलाफ मुंसिफ, दानापुर की अदालत में एक घोषणा के लिए कि अपीलकर्ता के पक्ष में दिनांक 06.03.1981 को निष्पादित उपहार विलेख दिखावटी और फर्जी लेनदेन है और स्वत्व के साथ कोई कब्ज़ा नहीं है। उपहार में दी गई संपत्ति कभी भी अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी को दे दी गई और इसलिए वह उस पर बाध्यकारी नहीं है। वाद की संपत्ति पर उसके कब्जे की पुष्टि करने और यदि वह कब्जे से बाहर पाया जाता है, तो कब्जा वापस पाने की डिक्री पारित करने के लिए भी प्रार्थना की गई थी।

3.1 यहां अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दाखिल करने के बाद, आदेश 7 नियम 11 आर/डब्ल्यू आदेश XIV, नियम 2 सीपीसी के तहत इस आधार पर वाद को अस्वीकार करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि मुकदमा स्पष्ट रूप से परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है, चूंकि उपहार विलेख 06.03.1981 को निष्पादित किया गया है, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के तहत मुकदमा उपहार विलेख के निष्पादन के विलेख के तीन साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए था, जबकि इसे 22 से अधिक वर्षों के बाद दायर किया गया है। आगे यह भी कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के साथ-साथ पंजीकरण अधिनियम की धारा 47 के मद्देनजर कायम रखने योग्य मुकदमा नहीं है।

3.2 मुंसिफ, दानापुर ने दिनांक 28.08.2006 के आदेश के तहत उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से, परिसीमा के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए, मौखिक साक्ष्य को ध्यान में रखना आवश्यक

है। इसलिए, दोनों पक्षों के साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद ही प्रश्न पर निर्णय दिया जाना चाहिए।

3.3 मुंसिफ, दानापुर द्वारा आदेश 7 नियम 11 आवेदन को खारिज करने के पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया है और मुंसिफ, दानापुर द्वारा आदेश 7 नियम 11 आवेदन को खारिज करते हुए पारित आदेश की पुष्टि की है। इसलिए, मूल प्रतिवादी के कहने पर वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

4. अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय और साथ ही ट्रायल कोर्ट दोनों ने आदेश 7 नियम 11 आवेदन को खारिज करने में भौतिक गलती की है और सीपीसी के आदेश 7 नियम 11(डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिकायत को अस्वीकार न करके भौतिक रूप से गलती की गई।

4.1 अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि पंजीकृत उपहार विलेख मूल वादी द्वारा वर्ष 1981 में निष्पादित किया गया था। वर्ष 2003 तक किसी भी समय, मूल वादी ने भी ऐसा नहीं किया। क्योंकि उनके भाई स्वर्गीय शिव प्रसन्न सिंह ने 06.03.1981 के पंजीकृत उपहार विलेख को चुनौती दी थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा पंजीकृत उपहार विलेख को चुनौती देने वाला वर्तमान मुकदमा पंजीकृत उपहार विलेख के निष्पादन की तारीख से लगभग 22 वर्षों की अवधि के बाद दायर किया गया था और इसलिए, यह स्पष्ट रूप से परिसीमा के कानून द्वारा वर्जित था। , विशेष रूप से, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 पर विचार करते हुए।

4.2 अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट को भी इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए कि केवल चतुर मसौदा तैयार करने से, वादी मुकदमे को अवधि के भीतर नहीं ला सकता है। यदि अन्यथा वह परिसीमा के कानून द्वारा वर्जित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, वर्तमान मामले में, मूल वादी ने जानबूझकर विशेष रूप से पंजीकृत उपहार

विलेख दिनांक 06.03.1981 को रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि वादी ने ऐसी राहत मांगी होगी, तो उस स्थिति में, वादी को पता था कि परिसीमा कानून द्वारा वर्जित सीमा पर मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि, इसलिए, जानबूझकर वादी ने विशेष रूप से पंजीकृत उपहार विलेख को रद्द करने और रद्द करने की राहत नहीं मांगी।

4.3 टी. अरिवंदंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल (1977) 4 एससीसी 467 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए; राम सिंह बनाम ग्राम पंचायत मेहल कलां (1986) 4 एससीसी 364 और मदनूरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल (2017) 13 एससीसी 174, अनुरोध है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और आदेश को खारिज करते हुए आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाए। 7 नियम 11 प्रतिवादी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया।

4.4 अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर विचार करते समय इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में कहा था, केवल वादपत्र में दिए गए कथनों की आवश्यकता है। माना जा रहा है।

4.5 अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि चतुर प्रारूपण ने वाद के कारण का भ्रम पैदा किया है, जैसा कि इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में देखा है, तो न्यायालय को इसे खत्म करना चाहिए सीपीसी के आदेश 10 के तहत पार्टी की खोज करके पहली सुनवाई में शुरुआत करें। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि, इसलिए, जैसा कि इस न्यायालय ने टी. अरिवंदंदम (सुप्रा) के मामले में देखा था, एक सक्रिय न्यायाधीश गैर-जिम्मेदाराना कानूनी मुकदमों का जवाब है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, वर्तमान मामले में, यदि वादपत्र में वर्णित तथ्यों के बंडल और वादपत्र में दिए गए कथनों पर समग्र रूप से विचार किया जाता है, तो उस मामले में, मुकदमा न केवल परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है, बल्कि यह एक कष्टप्रद और योग्यताहीन मुकदमा है और इसलिए, सीपीसी के नियम 7 आदेश 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज किया जाना आवश्यक है। अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने टी. अरिवंदंदम (सुप्रा) में

इस न्यायालय के निम्न निर्णयों पर भरोसा किया है; चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल जी ट्रस्ट (2012) 8 एससीसी 706; ए.बी.सी. लैमिनार्ट प्रा. लिमिटेड बनाम ए.पी. एजेंसियां (1989) 2 एससीसी 163; ब्लूम डेकोर लिमिटेड बनाम सुभाष हिम्मतलाल देसाई (1994) 6 एससीसी 322; सोपान सुखदेव साबले बनाम सहायक चैरिटी आयुक्त (2004) 3 एससीसी 137; शाम लाल उर्फ कुलदीप बनाम संजीव ए कुमार (2009) 12 एससीसी 454; एन. वी. श्रीनिवास मूर्ति बनाम मरियम्मा (मृत) प्रस्तावित एलआरएस एआईआर 2005 एससी 2897 और राम प्रकाश गुप्ता राजीव कुमार गुप्ता (2007) 10 एससीसी 59 द्वारा। उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 के आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया जाए और परिणामस्वरूप उक्त आवेदन को स्वीकार किया जावे और सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज कर दिया जावे।

5. मूल वादी-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया है।

5.1 मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि परिसीमा का प्रश्न कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और जिसके लिए उभयपक्ष की साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और इसलिए दोनों, उच्च न्यायालय के साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय ने, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही वाद को खारिज करने से इनकार कर सही किया।

5.2 मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर विचार करते समय, अकेले वाद में दिए गए कथनों पर विचार करना आवश्यक है, न कि बचाव और/ या प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान। यह प्रस्तुत किया गया है कि, वर्तमान मामले में, वादी में यह विशेष रूप से कहा गया है कि वादी को उपहार विलेख के बारे में वर्ष 2001 में पता चला, जब वादी ने

टी.एस. 203/2001स्थापित किया और पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 06.03.1981 के आधार पर अपने अधिकार का दावा किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि, जैसा कि वादपत्र में कहा गया है, 2001 तक, प्रतिवादी ने पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 06.03.1981 के आधार पर अपने अधिकार का दावा नहीं किया था और इसलिए, जैसा कि वादपत्र में कहा गया है, वादी को पंजीकृत उपहार विलेख के बारे में वर्ष 2001 में पता चला और जब मुकदमा वर्ष 2003 में दायर किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है। किसी भी मामले में, परिसीमा के संबंध में प्रश्न को कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न कहा जा सकता है, जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी सही ढंग से पाया कि साक्ष्य का नेतृत्व दोनों पक्षों द्वारा किया जाना आवश्यक है और उसके बाद ही परसीमा संबंधी वाद प्रश्न पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, इसलिए, उच्च न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद को खारिज करने से इनकार कर सही किया।

5.3 उपरोक्त दलीलें देते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

6. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना। हमने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के आदेश का भी अवलोकन किया है, जिसमें सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था और आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। हमने वादपत्र में दिए गए कथनों पर भी विचार किया है।

6.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ एक घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया है कि प्रतिवादी ने दिनांक 06.03.1981 के उपहार विलेख के आधार पर कोई स्वत्व और कब्ज़ा हासिल नहीं किया है और वादी को उक्त संपत्ति पर स्वामित्व और कब्ज़ा प्राप्त हो गया। मुकदमे में, वादी ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:

"ए ऊपर बताए गए तथ्यों के निर्णय पर, यह घोषित किया जावे कि प्रतिवादी ने दिनांक 06.03.1981 के उक्त दिखावटी उपहार विलेख के आधार पर कोई स्वामित्व और

कब्ज़ा हासिल नहीं किया है और वादी को उक्त संपत्ति में स्वत्व और कब्ज़ा मिल गया है।

बी. यह घोषित किया जाए कि उक्त दिखावटी उपहार विलेख दिनांकित है 06.03.1981 वादी पर बाध्यकारी नहीं है।

सी. यह कि वाद-संपत्ति पर वादी का कब्जा जारी रखा जाए और यदि वह कब्जे से बाहर पाया जाता है, तो वादी के पक्ष में कब्जा वापस पाने की डिक्री पारित की जाए।

डी. यह कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे को हस्तांतरित या अतिक्रमण करने या हस्तक्षेप करने से रोका जावे।

ई. यह कि मुकदमे की लागत प्रतिवादी से वादी को दिलाई जावे।

एफ. कोई अन्य राहत या राहतें जो उचित और उपयुक्त समझी जाए, वादी के प्रति और प्रतिवादी के विरूद्घ दिलाई जावे।"

वादपत्र में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए, यह देखा जा सकता है कि, इस प्रकार, वादी ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि वादी और उसके भाई ने उपहार विलेख 06.03.1981 को निष्पादित किया था। यह स्वीकार किया जाता है कि उपहार विलेख एक पंजीकृत उपहार विलेख है। वाद से यह भी पता चलता है कि 2003 तक न तो वादी और न ही उसके भाई (अपने जीवनकाल के दौरान) ने दिनांक 06.03.1981 के उपहार विलेख को चुनौती दी और न ही, किसी भी समय, यह दावा किया कि दिनांक 06.03.1981 का उपहार विलेख एक दिखावटी उपहार विलेख था। वास्तव में, यहां प्रतिवादी-अपीलकर्ता ने वर्ष 2001 में अपने भाइयों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें वादी भी प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में एक पक्ष था। और वह अपीलकर्ता- जों यहां मूल प्रतिवादी है के द्वारा दायर एक विभाजन मुकदमा था। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मन और वादपत्र की प्रति - टी.एस. (विभाजन) मुकदमा संख्या 203, 2001 - वादी को वर्ष 2001 में ही तामील करा दिया गया था। फिर भी, वादी ने वादपत्र में कहा कि उपहार विलेख के संबंध में वादी को 10.04.2003 को जानकारी हुई। इस प्रकार, वादपत्र में दिए गए कथनों से यह पता चलता है कि, 2003 तक, वादी ने उपहार विलेख पर कभी विवाद नहीं किया और/या उपहार विलेख दिनांक 06-03-1981पर कभी दावा नहीं किया कि वह एक दिखावटी उपहार विलेख था। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के साथ, अपीलकर्ता/ मूल प्रतिवादी द्वारा आदेश 7

नियम 11 सी.पी.सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को अस्वीकार करने संबंधी आवेदन पर विचार करना आवश्यक है।

6.2 सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन के दायरे और सीमा पर विचार करते समय, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है।

6.3 टी. अरिवंदंदम (सुप्रा) के मामले में, समान प्रावधान यानी सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 और ऐसे आवेदन पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट के डिक्री पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने पैरा 5 में निम्नलिखित के रूप में देखा और माना है :

"5. हमें अदालत की प्रक्रिया के बार-बार और बिना पछतावे के किए गए घोर दुरुपयोग के लिए याचिकाकर्ता की निंदा करने में थोड़ी भी झिझक नहीं है। उच्च न्यायालय के फैसले में पाए गए तथ्यों के बयान से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अब प्रथम मुंसिफ न्यायालय, बैंगलोर के समक्ष लंबित मुकदमा, वाद-पत्र प्राप्त करने में कानून की दया का घोर दुरुपयोग है। विद्वान मुंसिफ को यह याद रखना चाहिए कि यदि वाद-पत्र को औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और गुणहीन है, मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा न करने के अर्थ में, उसे सीपीसी के आदेश 7, नियम 11 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो गया है। और, यदि चतुर प्रारूपण ने वाद कारण का भ्रम पैदा किया है तो आदेश 10, सीपीसी के तहत पार्टी की खोज करके पहली सुनवाई में इसे शुरू में ही खत्म कर दें। एक सक्रिय न्यायाधीश गैर-जिम्मेदाराना कानूनी मुकदमों का जवाब है..."

6.4 चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने पैरा 13 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"13. वादी के कथनों की जांच करते समय, वाद के कारण के लिए सामग्री का पता लगाना ट्रायल कोर्ट का परम कर्तव्य है। कार्रवाई का कारण तथ्यों का एक बंडल है जो उन पर लागू कानून के साथ लिया जाता है जो वादी को प्रतिवादी के खिलाफ राहत का अधिकार देता है। प्रत्येक तथ्य जो वादी को डिक्री प्राप्त करने में सक्षम साबित करने के

लिए आवश्यक है, उसे स्पष्ट शब्दों में निर्धारित किया जाना चाहिए। वाद कारण शब्दों का अर्थ जानना सार्थक है। वाद कारण में प्रतिवादी द्वारा किया गया कुछ कृत्य शामिल होना चाहिए क्योंकि ऐसे कृत्य की अनुपस्थिति में वाद का कोई कारण संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकता है।"

6.5 ए.बी.सी. में लैमिनार्ट प्रा. लिमिटेड बनाम ए.पी. एजेंसियां, सेलम (सुप्रा), में इस न्यायालय ने "वाद कारण" का अर्थ इस प्रकार समझाया:

"12. वाद कारण का मतलब हर तथ्य है, जिसका यदि पता लगाया जाए, तो अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए वादी को साबित करना आवश्यक होगा। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक बंडल है जिसे साथ लिया गया है उन पर लागू होने वाला कानून वादी को प्रतिवादी के खिलाफ राहत का अधिकार देता है। इसमें प्रतिवादी द्वारा किया गया कुछ कार्य शामिल होना चाहिए क्योंकि ऐसे कार्य के अभाव में वाद का कोई कारण उत्पन्न नहीं हो सकता है। यह मुकदमा किये गये अधिकार के वास्तविक उल्लंघन तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें वे सभी भौतिक तथ्य शामिल हैं जिन पर यह आधारित है। इसमें ऐसे तथ्यों को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य शामिल नहीं हैं, बल्कि वादी को डिक्री प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए साबित करने के लिए आवश्यक हर तथ्य शामिल है। वह सब कुछ जो अगर साबित नहीं हुआ तो प्रतिवादी को तत्काल निर्णय का अधिकार देना वाद कारण का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इसका बचाव से कोई संबंध नहीं है जो प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया जा सकता है और न ही यह वादी द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति पर निर्भर करता है। "

6.6 पैरा 11 और 12 में सोपान सुखदेव साबले (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है:

"11. एलटी.सी. लिमिटेड बनाम ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण [(1998) 2 एससीसी 70] में यह माना गया था कि संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर एक आवेदन से निपटने के दौरान तय किया जाने वाला मूल प्रश्न यह है कि क्या वाद का वास्तविक कारण निर्धारित किया गया है या संहिता के आदेश 7 नियम 11 से बाहर निकलने की दृष्टि से कुछ पूरी तरह से भ्रामक कहा गया है।

12. विचारण न्यायालय को यह याद रखना चाहिए कि यदि वादपत्र के अर्थपूर्ण और सार्थक रूप से पढ़ने पर मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा न करने के अर्थ में स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और गुणहीन होना दर्शित होता है तो उसे संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो करना चाहिए। यदि चतुर प्रारूपण ने वाद के कारण का भ्रम पैदा किया है, तो संहिता के आदेश 10 के तहत पक्ष की खोज करके पहली सुनवाई में इसे खत्म करना होगा। (देखें टी. अरिवंदंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल (सुप्रा)।"

6.7 मदनूरी श्री राम चंद्र मूर्ति (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया है:

"7. आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद को खारिज किया जा सकता है यदि उक्त प्रावधान में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग मुकदमे के किसी भी चरण में न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे केवल वादी के कथन हैं। यदि वादपत्र के अर्थपूर्ण और सार्थक रूप से पढ़ने पर मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा न करने के अर्थ में स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और गुणहीन होना दर्शित होता है तो उसे संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि अदालत को व्यवहार प्रकरण की कार्यवाही को प्रारम्भिक स्तर पर समाप्त करने की कठोर है इसलिए वाद को अस्वीकार करने की शक्ति के प्रयोग के लिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत बताई गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह पता लगाने के लिए वादपत्र के कथनों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए कि क्या कथन वाद कारण का खुलासा करते हैं या क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है। इस प्रश्न को देखने की आवश्यकता नहीं है कि मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वाद की अस्वीकृति के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना पर विचार करते समय लिखित बयान के साथ-साथ प्रतिवादी की दलीलें पूरी तरह से सारहीन हैं। यहां तक कि जब वाद पत्र में लगाए गए आरोपों को समग्र रूप से उनके अंकित मूल्य पर सही माना जाता है, अगर वे दिखाते हैं कि मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, या वाद कारण का खुलासा

नहीं करता है, तो वादपत्र की अस्वीकृति पर विचार किया जा सकता है और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यदि वादपत्र के चतुर प्रारूपण ने वाद के कारण का भ्रम पैदा किया है, तो अदालत इसे जल्द से जल्द खत्म कर देगी ताकि फर्जी मुकदमेबाजी पहले चरण में ही समाप्त हो जाए।"

6.8 राम सिंह (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने देखा और अभिनिर्धारित किया कि जब मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है, तो वादी को चतुर प्रारूपण के माध्यम से उस प्रावधान को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि उन परिस्थितियों के उल्लेख से बचा जा सके। जिसके द्वारा वाद परिसीमा विधि द्वारा वर्जित हो।

7. सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को मौजूदा मामले के तथ्यों और वादपत्र में दिए गए कथनों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि दोनों न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को अस्वीकार न करके महत्वपूर्ण (Material) गलती की है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह विवादित नहीं है कि उपहार विलेख को मूल वादी ने अपने भाई के साथ स्वयं निष्पादित किया था। उपहार विलेख एक पंजीकृत उपहार विलेख था। उपहार विलेख का निष्पादन वादी द्वारा विवादित नहीं है। वादी का मामला यह है कि उपहार विलेख एक दिखावटी उपहार विलेख था और इसलिए वह उस पर बाध्यकारी नहीं है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि लगभग 22 वर्षों तक, न तो वादी और न ही उसके भाई (जिसकी मृत्यु 15.12.2002 को हुई) ने किसी भी समय यह दावा किया कि उपहार विलेख दिखावटी उपहार विलेख था। उपहार विलेख के निष्पादकों में से एक-वादी के भाई ने अपने जीवनकाल के दौरान कभी यह दावा नहीं किया कि उपहार विलेख एक दिखावटी उपहार विलेख था। इसमें अपीलकर्ता- मूल प्रतिवादी था जिसने वर्ष 2001 में विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया था और उक्त मुकदमा उसके भाइयों के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें वादी प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में शामिल हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि दायर मुकदमे का समन प्रतिवादी टी.एस. (विभाजन) 2001 का मुकदमा संख्या 203 प्रतिवादी संख्या 10-वादी को वर्ष 2001 में ही तामील करा दिया गया था। इसके बावजूद, उन्होंने वर्ष 2003

में वर्तमान मुकदमा दायर किया। यहां तक कि वाद में दिए गए कथनों से भी, ऐसा प्रतीत होता है कि इन 22 वर्षों के दौरान यानी 1981 से 2001/2003 तक की अवधि में, अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा मुकदमे की संपत्ति को गिरवी रखा गया था और बंधक विलेख प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया गया था। इसलिए, वादपत्र में दिए गए कथनों और वादपत्र में बताए गए तथ्यों के समूह पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि वादी ने एक चतुर मसौदा तैयार करके मुकदमे को परिसीमा अवधि के भीतर लाने का प्रयास किया है, जो अन्यथा परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है। इसलिए, टी. अरिवंदंदम (सुप्रा) और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, और चूंकि मुकदमा स्पष्ट रूप से परिसीमा के कानून द्वारा वर्जित है, इसलिए आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज करना आवश्यक है।

7.1 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि, वैसे, वादी ने कभी भी उपहार विलेख को रद्द करने की घोषणा के लिए प्रार्थना नहीं की है। हमारा मानना है कि ऐसी प्रार्थना चतुराई से नहीं मांगी जाती। यदि ऐसी प्रार्थना की जाये तो उस स्थिति में, परिसीमन अधिनियम के अनुच्छेद 59 पर विचार करते हुए मुकदमे को स्पष्ट रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित कहा जा सकता है और इसलिए, विशेष रूप से अनुच्छेद 59 परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाहर निकलने के लिए केवल एक घोषणा की मांग की जाती है। उपरोक्त पहलू पर उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी विचार नहीं किया गया है।

8. अब, जहां तक मूल वादी की ओर से आवेदन और यहां तक कि विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां भी हैं कि परिसीमा के संबंध में प्रश्न कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है, जो कि संबंधित पक्षों के साक्ष्य पेश करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, जैसा कि शाम लाल उर्फ कुलदीप (सुप्रा) के एन. वी. श्रीनिवास मूर्ति (सुप्रा) के इस न्यायालय द्वारा देखा आैर अभिनिर्धारित किया कि वाद में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए यदि यह पाया जाता है कि मुकदमा स्पष्ट रूप से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11(डी) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर खारिज कर दिया जा सकता है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, हमारी

राय है कि उच्च न्यायालय और विद्वान विचारण न्यायालय दोनों ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग न करके आैर सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज न करने में गलती की है। ऊपर बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता है और यह खारिज किये जाने और रद्द किये जाने योग्य है। नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2013 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ मुंसिफ, दानापुर द्वारा मूल प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के खारिज करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता/मूल प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र को अस्वीकार करने वाले आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाता है और टाइटल सूट क्रमांक 19/2003 को खारिज किया जाता है। उपरोक्त शर्तों के अनुसार वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं.

दिव्या पांडे अपील की अनुमति

विशाल शर्मा